राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक प.12(7)कार्मिक/क-2/14 जयपुर, दिनांक : 6 JUN 2018

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शसन सचिव/शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त (जिला कलक्टर्स सहित)

परिपत्र

राज्य में वर्तमान में राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 प्रचलित है। इन्हीं नियमों के नियम-5 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 08.04.2015 में निम्नानुसार प्रावधान है :-

नियम-5 :-कतिपय शर्तो के अध्यधीन नियुक्ति- जब किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके किसी एक आश्रित की इस शर्त के अध्यधीन सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा कि इन नियमों के अधीन नियोजन उन मामलों में अनुज्ञेय नहीं होगा जहां पति या पत्नी या कोई एक पुत्र, अविवाहित पुत्री, दत्तक पुत्र/पुत्री केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हों, के अधीन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित हो।

परन्तु यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां विधवा स्वयं के लिए नियोजन प्राप्त करती है।"

नियम-5 का संशोधन:- राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति, 1996 के नियम- में विद्यमान अभिव्यक्ति "सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय या आश्रित की नियुक्ति के समय" प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्य सरकार के समक्ष ऐसे प्रकरण मार्गदर्शन हेतु प्राप्त हुए हैं, जिसमें किसी एक आश्रित की इन नियमों के अधीन नियोजन, कर्मचारी की मृत्यु के समय या नियुक्ति के समय, दोनों में से एक प्रास्थिति विचारणीय होगी अथवा दोनों?

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान करते समय यह भी देखा जाना है कि मृत सरकारी कर्मचारी का कोई भी वैध आश्रित, कर्मचारी की मृत्यु के समय एवं अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान करते समय तक, अर्थात दोनों ही दशाओं में, राज्य सरकार अथवा केन्द्र या अन्य राज्य सरकारों के अधीन एवं ऐसे किसी विधि द्वारा स्थापित बोर्ड/संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में हो, के अधीन सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिये।

(भास्कर ए. सावंत)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1 सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2 सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3 सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4 सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
5 पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6 रक्षित पत्रावली।

6/6/2018

30/2018

(सुनील शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

Lokesh Rathi//2018/Circular